(1)

व्याख्या करें कि संसदीय सरकार में व्यवस्थापिका लोकप्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है। Explain how the legislature excercise control over public administration in a Parliamentory Government.

or

प्रशासन के ऊपर व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण की विभिन्न पद्धतियाँ क्या है तथा ये कहाँ तक प्रभावी है। What are the various methods of legislature control over administration? How far are these effective?

Ans - प्रशासन जन कल्याण का साधन है जिसमें जनता की सदैव इच्छा यह रहती है कि लोकप्रशासन उत्तरदायी और निपुण रहे। लोक अधिकारियों को सत्ताधारी के समक्ष उत्तरदायी होना चाहिए। उनका यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वे अपनी शक्तियों के प्रयोग का पुरा ब्योरा जनता के समक्ष प्रस्तुत करें।

आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। जनता की प्रतिनिधि संस्था होने के कारण विधानमंडल जनता के लिए सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है - चूंकि विधानमंडल सभी तरह के कार्यों और शक्तियों का स्रोत है। अतः प्रशासन पर उसका नियंत्रण महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ प्रभावकारी भी होता है। विधानमंडल नीति निर्धारण के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन की पद्धति और प्रशासन द्वारा उनके उचित रूप से क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। वह प्रशासन के लिए सुनिश्चित नीतियों और सामान्य कार्यक्रमों की व्यवस्था कर देता है। प्रशासक को उसके द्वारा निर्धारित नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर ही अपने प्रशासकीय कार्यों का सम्पादन करता है।

आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था में अब यह स्वीकार किया जाता है कि संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन पर नियंत्रण रखना है। इसके अभिप्राय है कि सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है अथवा उसने कदम बढ़ाये है उस पर संसद को अपनी सहमति अथवा असहमति व्यक्त करने का अधिकार है।

संसदीय शासन व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी पदाधिकारी नहीं वरन् मंत्री जो विभागीय अध्यक्ष होते है। संसद के समक्ष जिम्मेवार होते है। यही कारण है कि विभागीय गलतियों के लिए मंत्रियों पर ही विधानमंडल में बौछार होती है और उसके बहुमत सदस्य को अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं कर सकने की स्थिति में सम्बन्धित मंत्री को ही अपने पद से इस्तिफा देना पड़ता है।

संसदीय शासन व्यवस्था में निम्नांकित साधनों द्वारा प्रशासन को नियंत्रित करता है।

(1) [illegible] अथवा बजटीय नियंत्रण :– लोकतंत्र में प्रशासन पर सबसे प्रभावकारी नियंत्रण का साधन वित्त का नियंत्रण है। कहा भी जाता है कि

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

"One who holds the purse, holds power" वित्त पर विधानमंडल का नियंत्रण है। संसद प्रत्येक वर्ष बजट पास करती है और उसके साथ-साथ व्यय की अनुमति भी देती है। संसद की अनुमति के बिना एक पैसा भी करों के रूप में लिया नहीं जा सकता और न ही उसे खर्च किया जा सकता है। राष्ट्रीय धन के ऊपर इस नियंत्रण के माध्यम से कार्यपालिका विभागों की हर गतिविधि की व्याख्या कर देती है। यह ठीक है कि जब तक सरकार को विधानमंडल का बहुमत समर्थन प्राप्त है, तब तक उसके वित्तीय माँगों को अस्वीकृत या कम नहीं किया जा सकता। पर सरकार की माँगों पर तो विधानमंडल में काफी विचार-विमर्श और बहस होता है। यहाँ संसद के सदस्यों को प्रशासन की समालोचना करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। यह लोकप्रशासन की क्रिया को काफी प्रभावित करता है।

(ii) **विधानमंडल द्वारा प्रशासनिक संगठन और कार्यों को निश्चित किया जाना** :- विधानमंडल कानून बनाकर प्रशासन के संगठन, कार्यों तथा नियमों को निश्चित कर देता है। प्रशासन को विधानमंडल द्वारा निश्चित नियमों के आधार पर ही अपना कार्य करना है। इस उपाय से संसद का प्रशासन पर नियंत्रण सामान्य तरह का ही होता है। इससे आगे बढ़ना संसद के लिए संभव नहीं है, चूकि इसमें कठिनाइयाँ है।

(iii) **प्रदत्त विधायन पर नियंत्रण** :- यद्यपि यह सही है कि विधानमंडल सामान्य नीतियों को निर्धारित कर उसके विस्तारपूर्वक विवेचन, व्याख्या और व्यवहार की शक्ति प्रशासन को प्रदान कर देता है। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि प्रशासन जिस तरह से चाहे स्वेच्छा से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करें। संसद प्रदत्त विधायन पर नियंत्रण रखने के लिए एक समिति का गठन करती है जिसका कार्य प्रशासकीय कार्यों की समीक्षा कर संसद को यह प्रतिवेदन देना है कि प्रशासन के द्वारा शक्तियों का प्रयोग निर्धारित सीमा के अन्दर किया जाता है अथवा नहीं। भारत में इसकी व्यवस्था लोकसभा की कार्यवाही से सम्बन्धित 215 वें नियम के अन्तर्गत की गयी है।

(iv) **वाद-विवाद और विचार विमर्श** :- संसद को प्रशासकीय कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित विचार-विमर्श और वाद-विवाद के अनेक अवसर प्राप्त होते है। इनमें कुछ प्रमुख राज्याध्यक्ष का उद्घाटन, भाषण, वित्त मंत्री का बजट अभिभाषण और नये विधायनों का पुनर्स्थापन तथा प्रचलित विधायनों में संशोधन आदि है। ऐसे अवसरों पर सरकारी नीति और विभागीय कार्य कलापों की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इसके अन्तर्गत सदस्यगण अपना विचार और सुझाव देने के साथ-साथ प्रशासनिक विभाग के कार्य के किसी पक्ष विशेष की आलोचना या सराहना भी कर सकते है। वार्नर के शब्दों में "Such an occassion be a true testing time of departmental performance and Competence."

(V) प्रस्ताव :- विधानमंडल प्रशासन को निम्नांकित प्रस्तावों के माध्यम से भी करता है। विधानमंडल को किसी भी विषय पर प्रस्ताव पारित करने की शक्ति है। प्रस्ताव यद्यपि अनुशंसात्मक होते है परन्तु कोई भी सरकार जो जन स्वीकृति पर आधारित होने का दावा करती है। वह उनकी उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकती। प्रस्ताव साधारणतः सरकार की दुर्बलताओं की ओर सदन और जनता का ध्यान जनता की ओर आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। प्रस्तावों में कार्य स्थगन प्रस्ताव सर्वाधिक लोकप्रिय है जो जनहित से संबंधित किसी अत्यावश्यक विषय पर, सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लाया जाता है। यदि अध्यक्ष से उसकी स्वीकृति मिल जाती है तो सदन की नियमित कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है और उस विषय विशेष पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त विधानमंडल को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार है। जब सरकार की समूची या आंशिक नीति दूषित तथा आपत्तिजनक दिख पड़ती है तो उसे नष्ट करने के लिए अविश्वास और निन्दा प्रस्ताव का ही सहारा लेना पड़ता है। इस तरह का प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

(VI) प्रश्नकाल :- प्रश्नकाल प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण का एक अत्यन्त प्रभावशाली साधन है। संसदीय शासन व्यवस्था में संसद के सत्र का प्रारंभिक काल प्रश्नकाल होता है। जिसके अन्तर्गत सरकार से सूचनाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछे जा सकते है। सदस्यगण पूछे जानेवाले प्रश्नों की सूचना अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित मंत्री को पहले ही दे देते है। संबंधित मंत्री अपना उत्तर अपने निजी अधिकारियों की सहायता से तैयार कर रखता है।

मंत्रियों को सदन में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। कुछ प्रश्नों का उत्तर जनहित में नहीं होने के नाम पर टाला भी जा सकता है। उत्तर संतोषजनक नहीं होने पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते है जिसका समुचित उत्तर मंत्रियों को देना पड़ता है। प्रश्न पूछने का औपचारिक उद्देश्य सूचनाएँ प्राप्त करना ही है। परन्तु व्यवहार में इसका प्रयोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करने तथा जनता की शिकायतों और कष्टों को सरकार तक पहुँचने के लिए किया जाता है।

(VII) आश्वासनों की समिति :- कभी-कभी मंत्रिगण प्रश्न का उत्तर देने या विचार विमर्श के दौरान सदन को किसी विशेष विषय या विषयों के सम्बन्ध में आश्वासन देते है। ये आश्वासन समय पर पूरे हुए या नहीं। पहले इसे देखना संसद सदस्यों का कार्य था। प्रायः ऐसा देखा जाता था कि मंत्रिगण संसद के उत्तेजित सदस्यों को शांत करने के लिए झूठे आश्वासन दे देते थे। परन्तु अब लोकसभा की प्रक्रिया संबंधी नियम के अन्तर्गत इसे देखने के लिए एक समिति ही गठित करदी गयी है। इस समिति के निर्माण से संसद को प्रशासन को नियंत्रण का एक

एक अच्छा साधन मिल गया है। यह समिति मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की समीक्षा करती है। एम० एन० कौल के शब्दों में "इसने केवल प्रशासकीय निपुणता पर केवल चौकस ही नहीं रखी है बल्कि विधायी प्रणाली में वर्तमान अनेक दोषों को भी दूर किया है। अतः मंत्री आश्वासन देने में सावधानी बरतते हैं और प्रशासन द्वारा दिये गये आश्वासनों पर सिर्फ कार्रवाई करते हैं।

(VIII) **लेखा परीक्षण एवं प्रतिवेदन** :- विधानमंडल प्रशासन पर नियंत्रण, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के भी माध्यम से भी रखता है जो व्यवस्थापिका का अभिकर्ता होता है। वह देखता है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन राशि को सरकार के द्वारा नियमानुसार व्यय किया गया है अथवा नहीं। वित्त प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति शासन की जिम्मेवारी नियंत्रक महालेखापरीक्षक जो सार्वजनिक लेखा समिति का मार्ग दर्शक, दार्शनिक एवं मित्र होता है, के प्रतिवेदनों द्वारा सुनिश्चित हो जाती है।

उपर्युक्त साधनों द्वारा व्यवस्थापिका संसदीय शासन प्रणाली में प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। परन्तु इस दिशा में व्यवस्थापिका का महत्व सीमित है क्योंकि — (A) व्यवस्थापिका एक बहुत बड़ा निकाय है। जो अपने बड़े आकार के कारण वह प्रशासन पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रख सकती।

(B) इसके निर्णय सामान्य होते हैं। इसे विश्लेषण की रूप रेखा एवं सूक्ष्मताओं के लिए कार्यपालिका पर निर्भर रहना पड़ता है।

(C) व्यवस्थापिका के सदस्य प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं।

(D) सदस्यों का बहुमत सरकार के साथ होता है। अतः सरकार के साथ निन्दा या अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की संभावना कम होती है।

(E) वित्त समितियाँ परीक्षण का कार्य करती है तथा व्यतित हो जाने के बाद ही उसकी समीक्षा करती है।

(F) संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली होती है जिसके कारण वह उसके इशारे पर नाचती है।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी० के० कालेज, डुमराँव
दिनांक - 20/07/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA